17/6/15	फरियादी राजस्व लेख अभिलेख विहीन मेरा कथन प्रस्तुत हुई। पश्चात् दस्तावेज मालगुजारी व तहसीलदार बोलगढ़ के उपरांत लीज ही मुताबिक विभिन्न भूमि खसरा के बाद के क्रम सं. 113 व 115 मालगुजारी के क्रम सं. 172, 218 में अंकित नंदकुंवर देवा कुशलसिंह के स्थान पर नंदकुंवर पत्नी स्व. सुरजनसिंह व बजरंगसिंह पुत्र सुरजनसिंह, कमलेशकुंवर पुत्री सुरजनसिंह के हिस्से 4/12 की कुशलसिंह के नाम के अंकन किये जाते हैं। तहसील लाईन है। प्रकरण फैसला सुना दिया नकल के क्रम हेतु। उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़	श्रीमान जी, श्रीमती नंदकुंवर देवा कुशलसिंह हि. 1/4 जमाबन्दी में दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत मोरकना द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व विष्णुसिंह पुत्र केशरसिंह को नंदकुंवर के ताऊ के लड़के के बयानों से नंदकुंवर देवा सुरजनसिंह सही नाम है। नंदकुंवर के नाम के आगे कुशलसिंह लिखा गया है जो कुशलसिंह इनके पति हैं। अतः सही नंदकुंवर देवा सुरजनसिंह कुशलसिंह लिखा जाना प्रस्तावित है। अधि. प्रस्तावित 17.6.15